

—: आदेश :—

04-10-2013

आवेदिका श्रीमती रेखा कुमारी, पति—श्री रंजय कुमार, सा०—बाकरगंज, दलदली रोड, थाना—कदमकुआँ, जिला—पटना से प्राप्त एक एन०पी०बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन—पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या—09—305/2011 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक—04.10.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदिका द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे जमाल रोड स्थित रितीक इन्टरप्राइजेज की प्रोप्राईटर हैं। ये एच०टी०सी० कार्बन मोबाईल के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है जिस कारण अक्सर व्यवसाय के सिलसिले में बैंक से भारी मात्रा में कैश का लेन—देन करना पड़ता है। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।


वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक—384/गो०, दिनांक—17.04.2012 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मूल में अग्रसारित कर भेजा गया है। पुलिस उपाधीक्षक, नगर, पटना के पत्रांक—31/श०, दिनांक—14.04.2012 द्वारा थानाध्यक्ष, कदमकुआँ के प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, कदमकुआँ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका व्यवसाय करती हैं और वे जमाल रोड स्थित रितीक इन्टरप्राइजेज के प्रोपराईटर हैं। वे एच०टी०सी० कार्बन मोबाईल के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है। जिस कारण अक्सर व्यवसाय के सिलसिले में बैंक से भारी मात्रा में कैश का लेन—देन होता है, जिससे जान—माल का खतरा है। आवेदिका के पति श्री रंजय कुमार के नाम से एक एन०पी०बोर पिस्टल की अनुज्ञप्ति प्राप्त है। तदोपरान्त आवेदिका के जान—माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में थानाध्यक्ष द्वारा आवेदिका को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदिका के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदिका को अपने जान—माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदिका के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्रीमती रेखा कुमारी, पति—श्री रंजय कुमार, सा०—बाकरगंज, दलदली रोड, थाना—कदमकुआँ, जिला—पटना को उनके द्वारा अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन०पी०बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्रीमती रेखा कुमारी को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।  
वोद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

  
जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।

  
जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।